भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1694
16 दिसंबर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खतरनाक रसायनों का उपयोग

1694. श्री अनुराग शर्मा:
श्री डी.एम. कथीर आनन्द:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा फलों, खाद्य तेलों, डेयरी उत्पादों, घी में रासायनिक अपमिश्रण और खतरनाक रसायनों के उपयोग को रोकने के लिए उपाय किए गए हैं/ किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) फलों, खाद्य तेलों, डेयरी उत्पादों, घी आदि में ऐसे खतरनाक रासायनिक अपमिश्रण की पहचान करने और उसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार)

(क) से (ग): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) खाद्य वस्तुओं के संबंध में निगरानी कार्यकलाप करता है। एफएसएसएआई ने दुग्ध और दुग्ध उत्पादों, खाद्य तेलों आदि के बारे में अखिल भारतीय निगरानी कार्यकलाप किए है। खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन में निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के अलावा, मिलावट की डिग्री का पता लगाने और खाद्य मिलावट के प्रमुख हॉटस्पॉट (क्षेत्रों) की पहचान करने के लिए भी प्रयास किए गए थे। अखिल भारत निगरानी के बाद, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित खाद्य सुरक्षा आयुक्तों के साथ राज्यवार गैर-अनुपालन संबंधी डेटा को आवश्यक कार्रवाई के लिए साझा किया गया है। खाद्य उत्पादों में मिलावट की पहचान करने के लिए निगरानी की जाती है।

******